

विविध बैंक प्रकरण संख्या 08/2022(GCMS : 2022/12) ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड जिसका पंजिकृत कार्यालय 4th फ्लोर, फेज-II, स्पेन्सर प्लाजा नं. 769, माउण्ट रोड, अन्ना सलाई, चेन्नई - 600002, तमिलनाडू तथा शाखा कार्यालय होटल एप्पल ईन के सामने, निर्माण नगर, अजमेर रोड, डीसीएम, जयपुर- 3202019 राजस्थान बनाम 1. गुरदीप सिंह पुत्र मुख्यालय पता वार्ड नं. 16, बींझबायला जिला श्रीगंगानगर - 335041 राजस्थान 2. गुरप्रीत कौर पत्नी श्री गुरदीप सिंह पता वार्ड नं. 16, गुरुद्वारा के पास, मुख्यालय जिला श्रीगंगानगर-335001 राजस्थान

29.05.2023

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महादेव मिढा उपस्थित हुए। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने कथन किया कि ईक्विटास स्मॉल फाईनेस बैंक लिमिटेड ने अप्रार्थीगण गुरदीप सिंह एवं गुरप्रीत कौर द्वारा बैंक के ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण उनके द्वारा बैंक ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरदीप सिंह सम्पत्ति पट्टा नं. 174, प्लॉट संख्या 1323 (क्षेत्रफल 1328 वर्गफीट), ग्राम बींझबायला तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्त करने के लिए धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.09.2022 को प्रस्तुत कर रखा है और अब चूंकि प्रार्थी बैंक ऋणी के विरुद्ध इस प्रकरण में किसी प्रकार की आगे कोई कार्यवाई नहीं चाहता है अर्थात नॉट प्रैस करता है और अगर इस प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाई समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।


मैने, उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 22.12.2021 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक द्वारा धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 के अन्तर्गत अप्रार्थीगण गुरदीप सिंह एवं गुरप्रीत कौर के विरुद्ध पेश कर ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी गुरदीप सिंह सम्पत्ति पट्टा नं. 174, प्लॉट संख्या 1323 (क्षेत्रफल 1328 वर्गफीट), ग्राम बींझबायला

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और अब चूंकि प्रार्थी बैंक इस प्रकरण में आगे किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं चाहते हैं अर्थात् नॉट प्रैस करते हैं। इस आशय का कथन प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता ने फर्द अहकाम के हाशिये पर भी अंकित किया है। इसलिए इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज करना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी ईक्विटास स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. द्वारा वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.05.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(सौरभ स्वामी)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर
श्री गंगानगर